न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—306/2011/223 आर.टी.एक्ट (2011/00011)

1. सकराम पुत्र श्री भागीरथ जाति मीणा निवासी कालेडा कंवर जी, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मोत्या बेवा जयराम, जाति मीणा निवासी कालेडा कंवर जी तहसील केकडी जिला अजमेर।
2. विनोद आयु 13 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जयराम
3. कैलाश आयु 11 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जयराम
4. सुनिता आयु 17 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जयराम
5. मंजू आयु 7 वर्ष पुत्री स्व0 श्री जयराम
   नाबालिग जरिए संरक्षक माता मोत्या बेवा जयराम।
6. श्योजी पुत्र स्व0 श्री भूरालाल
7. कन्या पुत्र स्व0 श्री भूरालाल
8. सजना बेवा स्व0 श्री भूरालाल **(फौत)**
   जाति मीणा तीनों हाल निवासी राजकोट तहसील देवली जिला टोंक।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.03.2002 राजस्व वाद संख्या 169/1993

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री आर0पी0 शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 **अनुपस्थित**
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 13.05.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 169/1993 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 5 के पति एवं पिता जयराम ने एक वाद धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में अपीलांट एवं अपीलांट के भाई भूरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 30.03.2002

को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 169/1993 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7 अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के अभिभाषक भी अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी ने पूर्व में भी इसी आदेश के विरूद्ध एक अपील 6.9.2007 को प्रस्तुत की थी जिसमें रेस्पोडेन्ट जयराम व भूरालाल को पक्षकार बनाया था जो कि अपील करने से पूर्व ही गुजर चुके थे जिसकी प्रार्थी को जानकारी नहीं थी अतः विपक्षी अभिभाषक ने उपस्थित होकर रेस्पोडेन्ट के मृत होने के बाबत आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर न्यायालय ने प्रार्थी की अपील को मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने के कारण निरस्त करते हुए प्रार्थी को पुनः मृतक के वारिसानों को पक्षकार बनाते हुए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की थी तत्पश्चात प्रार्थी ने काफी खोजबिन के पश्चात मृतक के वारिसानों के बाबत जानकारी हासिल की व सभी वारिसानों की जानकारी में प्रार्थी को अधिक समय लग गया। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी अब यह अपील पुनः मृतक के वारिसानों के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे न्यायहित में अन्दर मयाद शुमार किया जाकर मैरिट पर निर्णित किया जाना अतिआवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री कतई गैर कानूनी व एकतरफा में पारित की गई है अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अपील को मैरिट पर सुना जाना अतिआवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम अपील हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.09.2007 को प्रस्तुत की गई। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दिनांक 26.02.2008 को खारिज किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी को पुनः 15 दिवस में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

अपीलांट द्वारा उक्त अपील को लगभग 3 वर्ष पश्चात मियाद बाहर हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2011 को प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के कोई समुचित कारण नहीं बताए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2002 का है, अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.09.2007 को मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी चूंकि उक्त अपील मृतक के विरूद्ध पेश की गई थी इसलिए न्यायालय द्वारा उक्त अपील को दिनांक 26.02.2008 को खारिज कर अपीलांट को 15 दिवस में अपील प्रस्तुत करने का सदभाविक अवसर

दिया गया था इसके बावजूद भी अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील तीन वर्ष की लंबी अवधि पश्चात दिनांक 01.07.2011 को मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है व अपीलांट द्वारा इसका कोई सदभाविक कारण भी न्यायालय को नहीं बताया गया है। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जब अपीलांट को न्यायालय द्वारा अपील प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया गया था तो उन्हें उस अवसर का सदुपयोग करते हुए प्रकरण में शीघ्र अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलांट को तत्समय उक्त आदेश की जानकारी थी व उनके द्वारा जानबूझकर हाजा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की गई है। प्रकरण में देरी से अपील प्रस्तुत करना यह अपीलांट की प्रकरण के प्रति उदासीनता व लापरवाही को दर्शाता है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

आरआरटी 2015(1) राजस्थान 232

DELAY CANNOT BE CONDONED WHEN THE PARTY HIMSELF WAS NOT VIGILANT.

हाजा न्यायालय द्वारा जब अपीलांट को निर्देश दिए गए थे तो अपीलांट को मृतक के वारिसानों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करते हुए शीघ्र हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी, परंतु अपीलांट द्वारा ऐसा नहीं कर प्रकरण में मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई है।

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार विलंब के एक एक दिन का विवरण व कारण न्यायालय को अपील के माध्यम से बताना अनिवार्य है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बिना किसी स्पष्ट कारणों के अभाव के प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय है कि पक्षकार न्यायालय द्वारा शीघ्रता से अपना उपचार मांगे इसका दुरूपयोग नहीं करे। परंतु उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा परिसीमा नियमों का दुरूपयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरएलडब्ल्यू 2016 पार्ट–1 रेवे0पेज 695 में कहा गया है कि किसी परिसीमा अवधि की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं की इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। विधि की अवधारणा तर्क संगत अवधि होनी चाहिए प्रार्थी द्वारा लंबे अंतराल के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है।** प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत ऐसे कोई पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे न्यायालय हाजा संतुष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा बताए गए कारण सदभाविक है। न्यायायल हाजा द्वारा उक्त मियाद अवधि को कण्डोन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2007(2) आरआरटी 788
(हाई कोर्ट)

परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5–सिविल प्रक्रिया, 1908–*धारा 100 विलंब का उपशमन अपील पेश करने में विलंब जानकारी की दिनांक से अपील पेश की–अपील तुरंत पेश न करने हेतु स्पष्टीकरण नहीं–निर्णित, अपील कालबाधित है एवं खारिज की।*

RRD SEPTEMBER, 2000 PAGE 421

Limitation act, 1963-sec.5- *In application u/s 5,Limitation act, reason given is not satisfactory- Appellant was negligent inspite of knowledge- order of R.A.A not condoning delay, held justified.*

प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर पूर्णरूप से चस्पा होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

6. अतः उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर